-::निर्णय::-

दिनांक 29.09.2025

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा पेश यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार यह है कि यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण रजिस्टर्ड पता प्रार्थना पत्र के मुख्य पृष्ठ पर जो दर्ज है वही माना जावे।

यह कि मिन प्रार्थीगण के नाम से तहसील हनुमानगढ़ के चक 1 डी.बी.एल. ए के खाता सं. 111 के प.नं. 84/283(51) के किला नं. 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 ता 12 व प.न. 85/283 (52) के किला न. 1 ता 4, 7 ता 10 इसी तरह दोनो पत्थरो की 3.795 हैक्टेयर नहरी/अनकमाण्ड गै.मु. खाला मे से प्रार्थी कौर सिह 227/3795 हिस्सा यानी 0.227 हैक्टेयर व प्रार्थी जागर सिह का 659/3795 हिस्सा यानी 0.659 है. खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 सलंग्न वाद पत्र है।

यह कि अप्रार्थीगण न. 1 व 2 की भूमि तहसील हनुमानगढ के चक 1 डी.बी.एल.ए के खाता से 111 के प.न. 84/283(51) को किला न. 1/0.253, 2/0253, 3/0253 हैक्टयर नहरी की 0.759 हैक्टयर नहरी मे अप्रार्थीगण न. 1 का 25/759 हिस्सा यानी 0.025 हैक्टयर व अप्रार्थीगण न. 2 का 734/759 हिस्सा यानी 0.734 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थीागण की भूमि चक डी.बी.एल. ए के खाता में 111 के प.न. 84/283 (51) के किला नं. 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 ता 12 व प.नं. 85/283 (52) के किला नं. 1 तो 4, 7 ता 10 इसी तरह दोनो पत्थरो की 3.795 हैक्टयर नहरी/अनकमाण्ड गै.मु. खाला में से प्रार्थी कौर सिह 227/3795 हिस्सा यानी 0.227 हैक्टयर प्रार्थी जागर सिह का 659/3795 हिस्सा यानी 0.659 हैक्टयर खातेदारी में (जिसका विवरण प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की मंद से. 2 में किया है) में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण न. 1 व 2 की भूमि तहसील हनुमानगढ़ के चक 1 डी.बी.एल.ए के खाता नं. 111 के प.न. 84/283 (51) के किला न. 1/0.253, 2/0.253, 3/0.253 है. नहरी की 0.

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

759 है. नहरी में अप्रार्थीगण न. 1 का 25/759 हिस्सा यानी 0.025 है. व अप्रार्थीगण न. 2 का 734/759 हिस्सा यानी 0.734 है. नहरी कृषि भूमि में से अप्रार्थीगण संख्या 1 अजमेर सिंह के हिस्से की भूमि में से किला न 1/0.0153 व 2/0.0097 है इसी तरह कुल दोनो किलों में से कुल 0.025 हैक्टयर बेजानीब दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता 0.025 हैक्टयर रास्ता लम्बा स्वीकृत करवाना चाहते हैं। और प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने के लिए दो किलों में से पूर्व में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है। यही रास्ता प्रार्थीया को अपनी भूमि में आने जाने के लिए सुविधा जनक है तथा इसी रास्ता से होकर प्रार्थीगण काफी अरसा से अपनी भूमि में आते जाते रहे है। क्योंकि प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता है। तथा उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। तथा प्रार्थीगण को इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि तक आवगम हेतू नहीं है। तथा ना ही कोई रास्ता अलग से लगता है इसी रास्ते से प्रार्थीगण की कृषि भूमि से दूरी कम पड़ती है।

यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि अप्रार्थीगण की भूमि के समीप किला न. 1 के पश्चिम की तरफ उतर से दक्षिण है उसके समीप फिरनी है। जिसका उपयोग वर्तमान में आने जाने हेतु हो रहा है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत हो जाने पर प्रार्थीया भी अपनी भूमि में ट्रैक्टर ट्राली अन्य औजार ले जाकर सुविधा पूर्वक काश्त कर सकेगी। तथा अपनी भूमि तक आसानी से आवागमन हो सकेगा।

यह कि प्रार्थीया तहसील हनुमानगढ़ के चक डी.बी.एल. ए. के खाता सं. 111 के प.न. 84/283 (51) के किला न. 1/0.253, 2/0.253, 3/0.253 हैक्टयर नहरी की 0.759 हैक्टयर नहरी में अप्रार्थीगण का 25/759 हिस्सा यानी 0.025 है. अप्रार्थीगण न. 2 का 734/759 हिस्सा यानी 0.734 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि मे से अप्रार्थीगण संख्या अजमेर सिह के हिस्से की भूमि में से किला न. 1/0.0153 व 2/0.0097 हैक्टयर इसी तरह कुल दोनी किलो में से कुल 0.025 हैक्टयर बेजानीब दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता 0.025 हैक्टयर रास्ता बैजानिब दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाने की कानूनी अधिकारी है। तथा प्रार्थीया उक्त रास्ता के लिये अप्रार्थीगण को रास्ता अवाप्त शुद्वा भूमि के बदले राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित डी. एल.सी के मुताबिक राशी जमा करवाने के लिए तैयार व रजामन्द है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन है। कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील हनुमानगढ़ के चक 1 डी.बी.एल. ए के खाता से 111 के ए.न. 84/283 (51) के किला न. 1/0.253, 2/0.253, 3/0.253 हैक्टयर नहरी की 0.759 हैक्टयर नहरी में अप्रार्थीगण नं. 1 का 25/759 हिस्सा यानी 0.025 हैक्टयर व अप्रार्थीगण न. 2 का 734/759 हिस्सा यानी 0.734 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से अप्रार्थीगण संख्या 1 अजमेर सिंह के हिस्से की भूमि में से किला न. 1/0.0153 व 2/0.0097 हैक्टेयर इसी तरह कुल दोनों किलों में से कुल 0.025 हैक्टयर बेजानीब दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता 0.025 हैक्टेयर रास्ता बैजानिब दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करे।

« प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री औकार सिंह ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र में राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा पेश होने के कारण प्रकरण में कोई विरोध होना प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की कार्यवाही एक संक्षिप्त विचारण है जिसकी मंशा यह है कि काश्तकारों को अपनी खातेदारी जोत तक पहुंचने के लिए निर्बाध रूप से रास्ता प्राप्त होना चाहिए। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानान्तर्गत भू.अ.निरीक्षक या उससे वरिष्ट स्तर के राजस्व अधिकारी से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) के संबध में रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु निम्नाकिंत बिन्दूओं का विवेचन किया गया-

1 रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।

2 वैकल्पिक रास्ते का अभाव।

3 नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

पत्रावली में मौजूद जमाबंदी, नजरी नक्शा अवलोकन व अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। चूंकि धारा 251ए एक संक्षिप्त विचारण है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। मनन उपरांत यह निष्कर्ष है कि प्रार्थी को अपनी जोत में पहूंच का रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251 (।) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध नही है। कानुनन स्वीकृतशुदा रास्ते से प्रार्थी की खातेदारी जोत तक पहुचने हेतु सबसे निकटतम रास्ता स्वीकृत होना चाहिए तथा प्रार्थी की खातेदारी आराजी को पहुच हेतु सबसे रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251(।) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में तहसीलदार मौका रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा अनुतोष में वांछित रास्ता में लघुतम दूरी का होना, वैकल्पिक मार्ग का नही होना और मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता का होना पाया गया है। प्रार्थी उक्त तीनों बिंदुओ को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक सहमति स्वीकार किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त विवेचन उपरांत आदेश दिए जाते है कि:-

-:क्रिन्याविति आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 अजमेर सिंह के हिस्से की भूमि में से किला न. 1/0.0153 व 2/0.0097 हैक्टेयर इसी तरह कुल दोनों किलों में से कुल 0.025 हैक्टयर दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। मुताबिक राजीनामा कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेश दिए जाते है कि उक्तानुसार पालना करे व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन/न्यायिक वाद आदि नहीं हो तो, आरटीए 251-ए (2) के तहत उक्त मंजूरशुदा रास्ते का राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ